उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0–11/2019–20

राजेश कुमार साह वगै0

बनाम्

सुभाष चन्द्र साह वगै0

–: आदेश :–

दिनांक :

09/07/21

नोटिश तामिला के बावजूद, अंतिम मौका देने के बाद भी उत्तरवादी के अनुपस्थित रहने के कारण अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ताओं को एक पक्षीय सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता राजेश कुमार साह, पिता–स्व0 दरोगी साह वो यशबिन्दु साह, पिता–स्व0 ज्ञानचन्द साह वो सुखलाल साह, पिता–स्व0 तेजनारायण साह वो मुनीलाल साह, पिता–स्व0 कपूरचन्द साह, सभी सा0–मैनाचक, थाना–मेहरमा, जिला–गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के न्यायालय के पी0डी0 केश नं0–05/2018–19 आदेश दिनांक–20.02.2019 के विरूद्ध अपील वाद दायर किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा ने पी0डी0 केश नं0–05/2018–19 आदेश दिनांक –20.02.2019 के द्वारा अपीलकर्त्ता को भविष्य में सरकारी कार्य में सहयोगात्मक रवैया रखने एवं इसकी पूनरावृति न करने की चेतावनी देते हुए वाद की कार्रवाई को समाप्त किया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि भोला साह बनाम् सुखलाल साह एवं अन्य के बीच आर0एम0ए0 नं0–10/2016–17 लंबित था, उसमें पक्षकारों के बीच भूमि का सीमांकन के लिए अंचल अधिकारी, मेहरमा को दण्डाधिकारी प्रतिनियुक्त करने के लिए निर्देश दिया गया था। उक्त निर्देश के आलोक में अंचल अधिकारी, मेहरमा के द्वारा दण्डाधिकारी के रूप में अंचल निरीक्षक, मेहरमा को प्रतिनियुक्त किया गया। प्रतिनियुक्त अंचल निरीक्षक दिनांक–29.06.2016 को मैनाचक गाँव गये एवं विवादित जमीन का सीमांकन करना चाहा। लेकिन उत्तरवादी ने उक्त वाद के उत्तरवादी सुखलाल साह एवं अन्य को उकसाया। जिस कारण सुखलाल साह एवं अन्य के द्वारा प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी अंचल निरीक्षक, मेहरमा को विवादित जमीन सीमांकन करने नहीं दिया। परिणाम स्वरूप स्थिति तनावपूर्ण हो गया और स्थल पर स्थिति तनावपूर्ण होने के कारण अंचल निरीक्षक,

मेहरमा के द्वारा भूमि का सीमांकन नहीं कर सका। प्रतिनियुक्त अंचल निरीक्षक, मेहरमा ने तनाव की स्थिति के संबंध में उच्चाधिकारी को सूचित किया कि मौजा–मैनाचक के प्रधान सुभाष चन्द्र साह के कारण भूमि के सीमांकन के समय स्थिति तनावपूर्ण हो गया था। प्रतिनियुक्त अंचल निरीक्षक, मेहरमा के द्वारा यह भी सूचित किया गया कि प्रधान के द्वारा सरकारी कार्य के विरोध में कार्य किया गया तथा प्रधान का आचरण कानून को तोड़ने वाला एवं सरकार के खिलाफ है। अंचल निरीक्षक, मेहरमा के प्रतिवेदन के आधार पर अंचल अधिकारी, मेहरमा ने अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा को मामले की सूचना दी गयी एवं प्रधान सुभाष चन्द्र साह को मौजा–मैनाचक के प्रधानी पद से बर्खास्त करने के लिए प्रक्रिया प्रारम्भ करने के लिए अनुरोध किया गया, जिसके आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के द्वारा पी0डी0 केश नं0–5/18–19 (अंचल अधिकारी, मेहरमा वनाम् सुभाष चन्द्र साह) प्रारम्भ किया गया एवं विपक्षी प्रधान से कारण–पृच्छा की माँग की गयी। विपक्षी सुभाष चन्द्र साह न्यायालय में उपस्थित हुए एवं उनके द्वारा कारण–पृच्छा दाखिल किया गया। लेकिन विपक्षी सुभाष चन्द्र साह के द्वारा दाखिल कारण–पृच्छा संतोष जनक नहीं था। क्योंकि विपक्षी प्रधान के द्वारा कई अवैध कार्य किया गया था। उनका आगे कथन है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी, मेहरमा के द्वारा भी दिनांक–01.02.2003 को उत्तरवादी प्रधान के विरूद्ध आई0पी0सी0 की धारा 353, 188, 504/34 के तहत दायर मेहरमा थाना काण्ड सं0–123/2003 टी0आर0 नं0–1366/12 विचाराधीन है। उत्तरवादी प्रधान के विरूद्ध धारा 420/120 बी0आई0पी0सी0 के तहत मामला स्थापित किया गया था। उत्तरवादी के विरूद्ध थाना काण्ड सं0–128/2008 जी0आर0 नं0–876/2008 बदुई देवी बनाम् सुभाष चन्द्र साह एवं अन्य के बीच मामला विचाराधीन है। इसी तरह अंचल निरीक्षक, मेहरमा के द्वारा उत्तरवादी प्रधान के विरूद्ध मेहरमा थाना काण्ड सं0–91/18 दायर किया गया था, जो जी0आर0 नं0–1054/18 न्यायालय में विचाराधीन है। उनका आगे कथन है कि उत्तरवादी बहुत जिद्दी, असभ्य और अनुशासनहीन व्यक्ति है। उत्तरवादी को प्रशासन का कोई सम्मान नहीं है। इसके अलावे उत्तरवादी जिला साहेबगंज का मूल निवासी है। प्रधानी पद प्राप्त करने के लिए उत्तरवादी ने अपना नाम गाँव मैनाचक की मतदाता सूची में दर्ज करवा लिया है और प्रधानी पद पर नियुक्ति होने में सफल हो गये हैं। इस प्रकार का उत्तरवादी प्रधान के विरूद्ध अनेकों अनियमितताओं का सबूत था। लेकिन

निम्न न्यायालय के द्वारा उत्तरवादी के विरूद्ध लाये अनियमीतताओं पर सही तरीके से विचार नहीं किया गया। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को निरस्त करने के लिए अनुरोध किया है।

उत्तरवादी की ओर से दाखिल लिखित बहस का अवलोकन किया। उत्तरवादी ने दाखिल लिखित बहस में अंकित किया है कि वर्तमान अपील वाद आर0एम0ए0 नं0–11/2019–20 दायर किया गया है। लेकिन निम्न न्यायालय में अपीलकर्त्ता पक्षकार नहीं थे। अपीलकर्त्ता अपील दायर करने के हकदार नहीं है। अपीलकर्त्ता का मंशा उत्तरवादी को परेशान करना है। इसलिए अपील खारिज करने योग्य है। उन्होंने आगे अंकित किया है कि निम्न न्यायालय के द्वारा दिनांक–20.02.2013 को आदेश पारित किया गया है एवं अपील दिनांक–27.05.2019 को दायर किया गया है, जबकि संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 66बी0 के अनुसार 60 दिनों के भीतर अपील दायर नहीं किया गया है। इसलिए अपील वाद चलने योग्य नहीं है। उत्तरवादी सुभाष चन्द्र साह को उनके माँ के स्थान पर उत्तराधिकारी के आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा द्वारा संथाल परगना काश्तकारी(पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत मौजा –मैनाचक का प्रधान नियुक्त किया है। जब उत्तरवादी सुभाष चन्द्र साह का मौजा–मैनाचक का प्रधान नियुक्त किया गया तो अमरेन्द्र साह उर्फ महाजन साह ने आर0एम0ए0 नं0–60/2012–13 (अमरेन्द्र साह उर्फ महाजन साह बनाम् सुभाष चन्द्र साह) दायर किया गया था। उक्त अपील वाद को अपीलकर्त्ता अमरेन्द्र साह उर्फ महाजन साह के लम्बे समय तक अनुपस्थित रहने के कारण उक्त अपील वाद को समाप्त किया गया। लिखित बहस में आगे अंकित किया गया है कि अपीलकर्त्तागण ने अपील आवेदन में अपराधिक एवं राजस्व मामले के झूठे एवं काल्पनिक आरोप को दर्शाया है, जिसका निर्णय उत्तरवादी के पक्ष में हो गया है। इसलिए अपील योग्यता से रहित है और अपील आवेदन खारिज होने योग्य है। उन्होंने अपील आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

उपरोक्त तथ्यों एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उत्तरवादी सुभाष चन्द्र साह मौजा–मैनाचक के प्रधान हैं। अंचल अधिकारी, मेहरमा के प्रतिवेदन के आधार पर उत्तरवादी सुभाष चन्द्र साह को मौजा–मैनाचक के प्रधानी पद से बर्खास्त करने के लिए

प्रक्रिया चलाया गया था। लेकिन अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा ने उत्तराधिकारी सुभाष चन्द्र साह को चेतावनी देते हुए प्रक्रिया समाप्त किया गया है। वर्तमान अपील वाद राजेश कुमार साह एवं अन्य के द्वारा दायर किया गया है। लेकिन अपीलकर्त्ता की ओर से संथाल परगना काश्तकारी(पूरक) नियमावली 1950 के अनुसूची V के "Dismissal of Headman" के आलोक में उत्तरवादी प्रधान को बर्खास्त करने के लिए कोई भी साक्ष्य जनित कागजात दाखिल नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा को पी0डी0 केश नं0–5/18–19 में दिनांक–20.02.2019 के पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन खारिज किया जाता है। अभिलेख जिला अभिलेखागार, गोड्डा में जमा करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

09/03/22
उपायुक्त,
गोड्डा।

09/03/22
उपायुक्त,
गोड्डा।

डी0बी0– 54
10.03.22

bell
12-3-22

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2022.06.10 12:33:15 +05:30
Location: 192.168.29.32